

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल 2015— चैत्र 27, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/20/2015/वाक/पांच (35). — छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्रमांक 13 सन् 1988) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ-10/21/2010/वाक/पांच (25), दिनांक 26-3-2010 में अंक “2015” के स्थान पर अंक “2016” प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक एफ-10/20/2015/वाक/पांच (35). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/20/2015/वाक/पांच (35), दिनांक 31-03-15 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2015

NOTIFICATION

No. F-10/20/2015/CT/V (35).— In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988 (No. 13 of 1988), the State Government hereby makes the following amendment :-

AMENDMENT

In notification No. F- 10/21/2010/CT/V (25), dated 26-3-2010, for the figure “2015”, the figure “2016” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 451]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 2015— भाद्रपद 5, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-31/2015/वाक/पांच (57). — छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्रमांक 13 सन् 1988) की धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर नियम, 1988 में राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, निम्नानुसार और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

- (1) नियम 4 में, शब्द “प्ररूप चार में” के पश्चात् शब्द “इलेक्ट्रॉनिक रूप से विभाग की वेबसाईट के माध्यम से उस पर उपबंधित रीति में” जोड़े जाएं.
- (2) नियम 8 में,-
 - (क) उप-नियम (1) में, शब्द “प्ररूप सात में” के पश्चात् शब्द “इलेक्ट्रॉनिक रूप से विभाग की वेबसाईट के माध्यम से उस पर उपबंधित रीति में” जोड़े जाएं.
 - (ख) उप-नियम (3) के खण्ड (क) एवं (ख) प्रत्येक में, शब्द “प्ररूप आठ में” के स्थान पर शब्द “उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदन की तारीख से पन्द्रह दिवस के बाद की न हो, प्ररूप आठ में इलेक्ट्रॉनिक रूप से विभाग की वेबसाईट के माध्यम से उस पर उपबंधित रीति में” प्रतिस्थापित किये जाएं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2015

क्रमांक एफ-10-31/2015/वाक/पांच (57). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-31/2015/वाक/पांच (57), दिनांक 22-08-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 22nd August 2015

NOTIFICATION

No. F-10-31/2015/CT/V(57).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10 of the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhinyam, 1988 (No. 13 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Niyam, 1988 (hereinafter referred to as the "rules") from the date of publication in the Official Gazette, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

- (1) In rule 4, after the words "in Form IV" the words "electronically through the website of the department in the manner provided thereon" shall be added.
- (2) In rule 8,-
 - (a) In sub-rule (1), after the words "in Form VII" the words "electronically through the website of the department in the manner provided thereon" shall be added.
 - (b) In each of the clauses (a) and (b) of sub-rule (3), for the words "in Form VIII" the words "not later than fifteen days from the date of application under sub-rule (1), in Form VIII electronically through the website of the department in the manner provided thereon" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.